

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	निराश्रित दिव्यांगजनों को भरणपोषण अनुदान (पेंशन)
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	ऐसे दिव्यांगजन जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में ₹0 56460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 से अधिक न हो (आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत) तथा 20 वर्ष या अधिक आयु के पुत्र/पौत्र, पति एवं पत्नी न हो अथवा वे स्वयं आर्थिक विपन्नता में हों, को भरणपोषण हेतु ₹0 500 मासिक दर से पेंशन दिये जाने का प्राविधान है।
4.	पात्रता की अर्हता–	ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है।
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	विभागीय वेबसाईट पर
6.	लिंक वेबसाईट	<a href="http://sspy-up.gov.in/">http://sspy-up.gov.in/</a>
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।